

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर-492002**

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 01/04/2013

क्रमांक एफ 1-10/2013/सत्रह/एक :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी/दन्त चिकित्सक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2013 से निम्नानुसार चार स्तरीय वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करता है:-

विशेषज्ञ				चिकित्सा अधिकारी/दन्त चिकित्सक	
स.क्र.	श्रेणी	संवर्ग में स्वीकृत वेतनमान	सेवा अवधि	संवर्ग में स्वीकृत वेतनमान	सेवा अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान	15600-39100 +ग्रेड वेतन 6600	-	15600-39100 +ग्रेड वेतन 5400	-
2	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	15600-39100 +ग्रेड वेतन 7600	100 प्रतिशत कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा उपरांत	15600-39100 +ग्रेड वेतन 6600	100 प्रतिशत कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा उपरांत
3	प्रवर श्रेणी वेतनमान	37400-67000 +ग्रेड वेतन 8700	100 प्रतिशत वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा उपरांत	15600-39100 +ग्रेड वेतन 7600	100 प्रतिशत वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा उपरांत
4	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	37400-67000 +ग्रेड वेतन 8900	कुल पदों का 5 प्रतिशत प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा उपरांत	37400-67000 +ग्रेड वेतन 8700	कुल पदों का 2 प्रतिशत प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा उपरांत

2/ राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों (गृह विभाग द्वारा घोषित) में कार्यरत अधिकारियों को 6 वर्ष के स्थान पर 04 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान देय होगा। इनकी सेवा अवधि की गणना उनके कार्यभार ग्रहण की तिथि से की जावेगी।

3/ उक्त वेतनमान छानबीन समिति की अनुशंसा पर नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

4/ उक्त वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

5/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 89/एफ 1002164/वित्त/नियम/चार/2013, दिनांक 18.03.2013 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



(अरुण कुमार चाँदे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर...2....




1/2/11

पृ0क्रमांक एफ 1-10/2013/सत्रह/एक

रायपुर, दिनांक 01 /04/2013

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर स्वीकृति आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, रायपुर।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय की ओर यू.ओ.क्रमांक 89/एफ 1002164/ वित्त/नियम/चार/2013, दिनांक 18.03.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, रायपुर।
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
8. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, रायपुर।
9. आयुक्त/संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर प्रेषित कर, निर्देशित किया जाता है कि चार स्तरीय वेतनमान स्वीकृत करने के फलस्वरूप होने वाले वित्तीय भार का आंकलन करें तथा रुपये 50 लाख से अधिक वार्षिक वित्तीय भार जाने की स्थिति में नवीन मद के रूप में बजट में शामिल कराए जाने की कार्यवाही करें। साथ ही सेवा भरती नियम में आवश्यक संशोधन हेतु तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. संचालक, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।
12. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
15. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
16. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
17. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट <http://www.cg.nic.in/health> पर अपलोड करने हेतु।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. स्टाक फाईल।

  
114113

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग